न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री महावीरसिंह, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 519/2016

वादीया :-

1. सोहनीदेवी पत्नि बाबूलाल
   जाति-कुमावत, निवासी-बेरा
   कचोड़ा भीलीया, निमाज
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. झुंझारराम पुत्र मंगाराम
2. नौरतमल पुत्र मंगाराम
3. सुगनाराम पुत्र मंगाराम
4. छैलाराम पुत्र मंगाराम
5. लीलादेवी पुत्री मंगाराम
6. सुखीदेवी पत्नि मंगाराम
   जातियान-कुमावत, निवासी-बेरा
   कचोड़ा भीलीया, निमाज
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली
7. तहसीलदार, जैतारण
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली
8. पटवारी, पटवार
   हल्का-निमाज-प्रथम
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.07.09.2016**

उपस्थितः- 1. श्री भगवती प्रसाद पटेल, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री रमेश कुमावत, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 11/02/2017**

वकील मय वादीया ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-बेरा कचोड़ा भीलीया निमाज, पटवार हल्का-निमाज-प्रथम, तहसील-जैतारण में वादीया की कब्जे काश्त की खरीदसुदा कृषि भूमि खाता संख्या 593 खसरा नम्बर 464 रकबा 6-17 बीघा किस्म चाही प्रथम की आई हुई हैं। जिसकी जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति सम्वत् 2069 से 2072 तक की वाद-पत्र के साथ संलग्न हैं, जो वाद-पत्र का एक भाग माना जावें। वादीया ने जरिये पंजीकृत बेचान के खसरा नम्बर 464 रकबा 6-17 बीघा की भूमि में 1-01 बीघा कृषि भूमि रूपयें 38,700/- अक्षरे अडतीस हजार सात सौ रूपये प्रतिफल की राशि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता व प्रतिवादी संख्या 6 के पति को नकद राशि देकर दिनांक 31/08/2004 को खरीद की थी और स्वर्गीय मंगाराम पुत्र भोलाराम ने मौके पर नापचौंप करके वादीया को कब्जा सुपुर्द कर दिया था। तब से लेकर आज तक मौके पर वादीया काबिज हैं और शांतिपूर्वक इसका उपयोग व उपभोग करती आ रही हैं। वादीया की खरीद सुदा एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि के पड़ौस- पूर्व दिशा में - मंगाराम की शेष कृषि भूमि, पश्चिम दिशा में - आसरलाई जाने वाली सड़क, उत्तर दिशा में - मंगाराम की शेष कृषि भूमि एवं दक्षिण दिशा में -

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

खींयाराम पुत्र लाबुराम की कृषि भूमि आई हुई हैं। उक्त पड़ौस के बीच स्थित कृषि भूमि वादीया की खरीद सुदा एवं कब्जे काश्त की हैं, जो शांतिपूर्वक बिना किसी रोक-टोक के ऐज ऑफ राईट के उपयोग एवं उपभोग करती आ रही हैं। नकल फोटू स्टेट प्रति बेचान रजिस्ट्री की वाद-पत्र के साथ संलग्न हैं। दिनांक 31/08/2004 के आधार पर हल्का पटवारी निमाज - प्रथम से अपने नाम का नामान्तरकरण अमल दरामद करवाने की जानकारी नहीं होने से वादीया अपने नाम से म्यूटेशन अमल दरामद नहीं करवा सकी, इस कारण से राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद होने से सद्भाविक भूलवश रह गया था, जो वादीया का नाम राजस्व रेकर्ड में पंजीकृत बेचान के आधार पर वादीया के नाम से नामान्तरकरण भरवाया जाकर राजस्व रेकर्ड खतौनी में नाम अमल दरामद करवाना कानूनी रूप से आवश्यक हैं, जो पंजीकृत बेचान दिनांक 31/08/2004 के आधार पर वादीया को जरिये घोषणा के खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का आदेश फरमावें। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता व प्रतिवादी संख्या 6 के पति स्वर्गीय मंगाराम पुत्र भोलाराम की मृत्यु दिनांक 18/09/2015 को हो गई थी। इसके पहले वादीया के नाम से नामान्तरकरण नहीं भरा गया और बेचानकर्ता स्वर्गीय मंगाराम पुत्र भोलाराम की मृत्यु होने के पश्चात् जरिये फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 4423/09.10.2015 के मंगाराम पुत्र भोलाराम के स्थान पर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 तक का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर दिया और वादीया का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं किया। यदि वादीया का नाम बेचान दस्तावेज के आधार पर म्यूटेशन भरकर राजस्व रेकर्ड खतौनी जमाबन्दी में अमल दरामद नहीं किया गया, तो वादीया अपने कानूनी जायज हक-हकूकों से वंचित रह जायेगी। इसके हितो पर कुठाराघात होगा। इसलिये वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। इसलिये वादीया की तरफ से घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद-पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं, जो आज ही नोटिस डिस्पेन्सविथ किये जाने का आदेश फरमावें। नकल मृत्यु प्रमाण-पत्र की फोटू प्रति वाद-पत्र के साथ संलग्न हैं, जो वाद-पत्र का एक भाग माना जावें। उक्त वर्णित खसरा नम्बर 464 रकबा 6-17 बीघा किस्म चाही प्रथम में से वादीया की 1-01 बीघा जरिये पंजीबद्ध बेचान के खरीद सुदा हैं। इसलिये वादीया की मालिकाना अधिकार की कृषि भूमि हैं। वादीया का खतौनी में बेचान रजिस्ट्री के आधार पर म्यूटेशन भरकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने से प्रतिवादीगण की नियत में फर्क आ गया, जो कभी भी वादीया को लाठी के बल पर बेदखल कर सकते हैं, जो वादीया ऐसा हरगिज नहीं करने देगी। वादीया का प्रथम दृष्टिया मामला हैं और सुविधा का सन्तुलन भी वादीया के हक में बखूबी साबित हैं। यदि राजस्व रेकर्ड में वादीया का नाम अमल दरामद नहीं किया गया, तो मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी और विविध प्रकार के मुकदमेबाजी होगी और खर्चे से जैरबार होना पड़ेगा और वादीया को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी सूरत में संभव नहीं होगी। इसलिए वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित करने का आदेश फरमावें एवं वादीया के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के हमेशा-हमेशा के लिये रोका जावें। उक्त वाद-पत्र में प्रतिवादी संख्या 7 तहसीलदार, जैतारण एवं प्रतिवादी संख्या 8 पटवारी निमाज राज्य सरकार के प्रतिनिधि एवं अधिकारी हैं। इसलिये इनके विरूद्ध वाद-पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व में 2 माह का धारा 80(2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र अले से वाद-पत्र प्रस्तुत करने की स्वीकृति हेतु वाद-पत्र के साथ संलग्न हैं। इसलिए प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया हैं। बिनायवाद दिनांक 30/08/2016 को

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

हल्क पटवारी निमाज प्रथम से जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने पर वादीया का नाम जमाबन्दी में इन्द्राज नहीं होने की जानकारी हुई और वादीया ने दिनांक 30/08/2016 को प्रतिवादीगण को कहा कि स्वर्गीय मंगाराम आपके पिता से मैंने जरिये पंजीकृत बेचान के कृषि भूमि 1–01 बीघा खरीद की, जो मेरा नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कराने से मना करने पर बमुकाम–निमाज में उत्पन्न हुआ, जो अन्दर म्याद पेश किया हैं, जो श्रीमान् के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार में हैं।

वादीया का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत न्यायालय हाजा में पेश हुई। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 ने इकबालिया जबाबदावा पेश कर माफिक ईश्तदुआ वादीया का वाद डिक्री किये जाने की सहमति दी। वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 6 तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 5 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश कुमावत ने राजीनामा पेश किया, बाद जांच राजीनामा तस्दीक किया गया। राजीनामा में भी प्रतिवादीगण ने वादीया का वाद माफिक ईश्तदुआ डिक्री किये जाने की सहमति दी हैं। इकबालिया जबाबदावा को सामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद–पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात एवं इकबालिया जबाबदावा, राजीनामा का गहनता से अध्ययन किया गया। लिहाजा वादीया को उक्त आराजी में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को वादीया के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक दस्तावेजात अनुसार वादीया का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–बेरा कचोड़ा भीलीया निमाज, पटवार हल्का–निमाज–प्रथम, तहसील–जैतारण में वादीया की कब्जे काश्त की खरीदसुदा कृषि भूमि खाता संख्या 593 खसरा नम्बर 464 रकबा 6–17 बीघा किस्म चाही प्रथम में से 1–01 बीघा भूमि वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। वादीया के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 11/02/2017 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)